:: सार्वजनिक सूचना ::

क्रमांक: 2/3/4/3/2026-1-03(GAD)　　　　　　　　भोपाल, दिनांक: 04/06/2026

शासकीय सेवा की सामान्य शर्तों के सम्बन्ध में नवीन प्रारूप नियमों पर जन-परामर्श

एतद् द्वारा सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा "**मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026**" अधिसूचित किया जाना प्रस्तावित है।

2. प्रस्तावित नियमों के प्रारूप सूचना के साथ संलग्न है एवं विभाग की वेबसाइट gad.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

3. प्रस्तावित नियमों के संबंध में यदि किसी व्यक्ति, संस्था या हितधारक को कोई आपत्ति या सुझाव देना हो, तो वे दिनांक **15 जून 2026** तक अपने सुझाव ई-मेल sogad1@mp.gov.in पर प्रेषित कर सकते है एवं gad.mp.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से भी विभाग को दे सकते हैं।

4. निर्धारित समयावधि के पश्चात प्राप्त होने वाले सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

(अजय कटेसरिया)
अपर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 2026 है,

(2) ये नियम, "मध्यप्रदेश राजपत्र" में अधिसूचित किये जाने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो :-

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' से तात्पर्य किसी सेवा के पद के संबंध में शासन या ऐसे प्राधिकारी से है, जिसे उस सेवा के पद पर नियुक्त करने की शक्ति शासन द्वारा सौंपी गई हो या इसके पश्चात् सौंपी जाए;

(ख) "आयोग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है;

(ग) “मण्डल” से तात्पर्य कर्मचारी चयन मण्डल से है;

(घ) "सेवा" से तात्पर्य- अखिल भारतीय सेवा को छोड़, राज्य के कार्यों से संबंधित किसी सेवा या पदों के समूहों से है, जो शासन द्वारा उस रूप में संगठित और पदांकित हो;

(ङ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है;

(च) "पद" से तात्पर्य शासन के अधीन पूर्णकालिक नियोजन से है किन्तु इसमें ऐसा कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है, जिसमें व्यक्तियों को भुगतान संविदा मानदेय, आकस्मिक व्यय, अनुदान मद अथवा मजदूरी मद से किया जाता हो;

(छ) ''विहित'' से तात्पर्य राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं के संबंध में भारत के संविधान के अधीन बनाये गये अन्य नियमों द्वारा या शासन द्वारा उस संबंध में जारी किये गये सामान्य या विशेष कार्यकारी अनुदेशों द्वारा विहित से है;

(ज) संवर्ग" से अभिप्रेत है, सेवा का वह भाग, जिसके लिये संबंधित भरती नियमों के अनुसार एक पृथक पदक्रम सूची तैयार की जाना अपेक्षित है;

(झ) ''नैतिक अधोपतन'' से तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिन्हें मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अतंर्गत नैतिक अधोपतन की श्रेणी में रखा गया है।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :- ये नियम, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति पर लागू होंगे जो शासन में कोई पद धारण कर रहा हो किन्तु ये निम्नलिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, अर्थात् :-

(क) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और नियोजन की शर्ते, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के विशेष उपबंधों द्वारा विनियमित हों;

(ख) ऐसे व्यक्ति, जिनकी नियुक्ति और सेवा की शर्तों के संबंध में विशेष उपबंध बनाये गए हों या इसके पश्चात् करार द्वारा बनाये जायें;

(ग) मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में नियुक्त व्यक्ति;

(घ) ऐसे व्यक्ति जो ऐसे नियोजन में है जिन्हें इन नियमों के नियम-2(च) में पद नहीं माना गया है;

परन्तु उनसे किसी ऐसे विषय के संबंध में, जो उनकी सेवाओं से या उनके पदों से संबंधित विशेष उपबंधों के अंतर्गत न आता हो. ये नियम उपर्युक्त खंड (क),(ख) में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू होंगे।

4. वर्गीकरण :-

(1) राज्य की शासकीय सेवाएं निम्नानुसार वर्गीकृत की जायेंगीः-

(एक) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं प्रथम श्रेणी;

(दो) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं द्वितीय श्रेणी;

(तीन) (क) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं तृतीय श्रेणी (अलिपिक वर्गीय), जिसमें कार्यपालिक एवं तकनीकी सेवाएं सम्मिलित हैं;

(ख) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय);

(चार) मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं चतुर्थ श्रेणी;

(2) किसी विद्यमान सेवा के पद का और किसी नई सेवा के पद का वर्गीकरण शासन द्वारा अवधारित किये गये अनुसार होगा:

परन्तु इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व जारी किये गये आदेशों के अधीन किया गया किसी विद्यमान सेवा के पद का वर्गीकरण तब तक इन नियमों के अधीन जारी किया गया इसका वर्गीकरण समझा जायगा जब तक कि इस संबंध में जारी किये गये विशेष या सामान्य आदेशों द्वारा उसे उपांतरित न कर दिया जाए;

परन्तु यह और कि किसी सेवा के पद के वर्गीकरण में प्रथम श्रेणी से द्वितीय श्रेणी या द्वितीय श्रेणी से तृतीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी से चतुर्थ श्रेणी के रूप में किया गया परिवर्तन प्रभावित व्यक्ति की पदावनति नहीं समझा जायेगा।

5. नियुक्ति के लिये पात्रता :- किसी सेवा के पद पर नियुक्त होने के लिये व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिये;

6. नियुक्ति के लिये निरर्हताएं:-

(1) कोई भी व्यक्ति, जिसके एक से अधिक जीवनसाथी जीवित है किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(2) (अ) किसी भी व्यक्ति की सेवा के पद पर तब तक नियुक्ति मान्य नहीं की जाएगी जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाये, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा के पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाये;

(ब) स्वास्थ्य परीक्षण पदभार ग्रहण करने से पूर्व कराया जाना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण: एक बार जब किसी व्यक्ति को शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया हो और उसका परीक्षण कर उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस प्रस्तुत प्रमाण पत्र की उपेक्षा, अनदेखा करने के लिए विवेकाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति न्यायालय द्वारा जिसे किसी नैतिक अधोपतन संबंधी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु जहां तक किसी व्यक्ति के विरुद्ध न्यायालय में नैतिक अधोपतन संबंधी मामला, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का प्रकरण आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा;

परन्तु यह भी कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराधिक प्रकरण में गुण दोष के आधार पर पूर्णत: दोषमुक्त होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे नियुक्त व्यक्ति को वरिष्ठता नियुक्ति दिनांक से दी जायेगी।

स्पष्टीकरण: पूर्णतः दोषमुक्त का अर्थ प्रकरण के गुण दोष (मेरिट) पर दोषमुक्त होना है; आपराधिक प्रकरण में तकनीकी कारणों अथवा शंका अथवा साक्ष्य के अभाव में मुक्त होने की स्थिति को पूर्णतः दोषमुक्त होना नहीं माना जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसे केन्द्र सरकार, राज्य शासन, स्थानीय शासन, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी या केन्द्र या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत किया गया है;

(5) कोई व्यक्ति यदि वह पूर्व से किसी भी केन्द्र सरकार, राज्य शासन, स्थानीय शासन, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या सहकारी सोसायटी या केन्द्र या राज्य शासन के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की सेवा में हो तो जब तक उसने अपने वर्तमान नियुक्तिकर्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और उसने नियुक्ति हेतु अभिलेखों के सत्यापन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो:

परन्तु यदि वह पूर्व सेवा के पद से त्याग पत्र देकर आता है तब निरर्हित नहीं होगा,

(6) कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो जिसमें दो या दो से अधिक का संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

(7) यदि किसी विशेष पद के लिए निर्धारित भरती नियमों में कोई अन्य विशिष्ट अपात्रता निर्धारित की गई है, तो वह भी लागू होगी।

7. भरती:- किसी व्यक्ति का किसी सेवा के पद पर नियुक्ति के लिये चयन यथाविहित निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक तरीकों से किया जायेगा, अर्थात् :-

(एक) सीधी भरती द्वारा,

(दो) पदोन्नति द्वारा,

स्पष्टीकरण: किसी अन्य सेवा के पद पर पूर्व से नियोजित किसी व्यक्ति का संविलयन अथवा किसी भी अन्य आधार पर नियुक्ति को सीधी भरती माना जायेगा;

परन्तु किसी व्यक्ति को किसी सेवा के पद पर नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जाएगा यदि मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1957 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 320 के अधीन ऐसा परामर्श आवश्यक हो।

8. परिवीक्षा (Probation) :-

(1) किसी सेवा के पद पर सीधी भरती (संविलयन, अनुकम्पा नियुक्ति एवं अन्य आधारों को सम्मिलित करते हुए) द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति को ऐसी अवधि के लिये, जैसी कि विहित की जाये, परिवीक्षा पर रखा जाएगा;

स्पष्टीकरण: नियम 7 (एक) में विहित प्रक्रिया के माध्यम से शासकीय सेवा में प्रवेश करने पर नियम-8 के अनुसार स्थायीकरण होगा। यह स्थायीकरण शासकीय सेवा की सम्पूर्ण अवधि के लिए मान्य होगा। इस स्थायीकरण के उपरान्त शासकीय सेवक के उच्चतर पदों पर पदोन्नत होने के उपरांत प्रत्येक धारित पद पर स्थायीकरण की पृथक से आवश्यकता नहीं होगी।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से, परिवीक्षा अवधि को ऐसी अवधि तक और बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अधिक नहीं होगी;

(3) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करना होगी जो विहित की गयी हो;

(4) सफलतापूर्वक परिवीक्षा पूर्ण करने पर तथा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण कर लेने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, उसी सेवा के पद पर स्थायी किया जायेगा जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है;

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर अधिकतम 6 माह की समय अवधि में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी करने अथवा उसकी सेवा समाप्त करने अथवा उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाने के तीन विकल्पों में से कोई एक निर्णय लेगा:

परन्तु ऐसा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तारीख से, उस पद पर स्वतः स्थायी माना जायेगा, जिस पद पर उसकी नियुक्ति परिवीक्षा पर की गई है।

(6) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति जिनकी परिवीक्षा अवधि बढ़ाई गई है, की विस्तारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर अधिकतम 6 माह की समय अवधि में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को स्थायी करने अथवा उसकी सेवा समाप्त करने के दो विकल्पों में से कोई एक निर्णय लेगा:

परन्तु ऐसा निर्णय नहीं लेने की स्थिति में परिवीक्षाधीन व्यक्ति को विस्तारित परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने की तारीख से, उस पद पर स्थायी माना जायेगा, जिस पद पर उसकी नियुक्ति परिवीक्षा पर की गई है।

(7) नियम 5 एवं नियम 6 के अंतर्गत परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाएं निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त की जा सकेंगी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह मत हो कि:-

(क) वह एक उपयुक्त शासकीय सेवक सिद्ध नहीं हो सकेगा;

(ख) वह उस पद के लिये उपयुक्त नहीं हो;

(ग) उसका कार्य प्रदर्शन असंतोषजनक हो;

(घ) उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की हो;

(ङ) उसने नियुक्ति के समय तथ्यों को छुपाया हो अथवा मिथ्या तथ्य प्रस्तुत किये हो।

स्पष्टीकरण: परिवीक्षा सेवा समाप्ति का आदेश बिल्कुल सामान्य और संक्षिप्त होना चाहिए। आदेश में शासकीय सेवक पर कोई आरोप, कदाचार अथवा नैतिक पतन का ऐसा कोई उल्लेख नहीं होना चाहिए जो उसके भविष्य के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले अर्थात आदेश कलंकपूर्ण नहीं होना चाहिये। परिवीक्षा समाप्ति दंडात्मक कार्रवाई नहीं है, अतः इसके लिए विभागीय जांच की विस्तृत प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य नहीं है।

9. पदक्रम सूची (Gradation List) :- (1) प्रत्येक संवर्ग के लिये एक पदक्रम सूची रखी जायेगी जिसमें उस सेवा में सम्मिलित पद धारण करने वाले शासकीय सेवकों के नाम उनकी वरिष्ठता के क्रम से लिखे जायेंगे;

(2) पदक्रम सूची का संधारण प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में उस वर्ष की दिनांक 31 मार्च के पूर्व किया जायेगा।

10. वरिष्ठता:- किसी सेवा के संवर्ग या विशिष्ट शाखा या समूह के सदस्यों की वरिष्ठता निम्नलिखित सिद्धान्तों के अनुसार अवधारित की जायेगी, अर्थात्:-

(1) सीधी भरती किये गये व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता:-

(क) किसी पद पर सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता पदग्रहण की तिथि का विचार किये बिना चयन सूची जिसमें उस व्यक्ति का नाम सम्मिलित है के आधार पर अवधारित की जायेगी:

परन्तु इस सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि में इन नियमों के नियम-8 के अन्तर्गत वृद्धि की गयी हो की वरिष्ठता उक्त चयन सूची के अंतिम व्यक्ति के नाम के ठीक नीचे निर्धारित की जायेगी;

परन्तु यह भी कि परिवीक्षा अवधि के पश्चात् विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले व्यक्ति की वरिष्ठता उक्त चयन सूची के अंतिम व्यक्ति के नाम के ठीक नीचे निर्धारित की जायेगी।

उदाहरण: यदि वर्ष 2026 के जुलाई माह में 12 व्यक्तियों का चयन किया गया है जिनमें 10 व्यक्तियों ने अगस्त माह एवं 2 व्यक्तियों ने सितम्बर माह में पदग्रहण किया है तो उनकी परस्पर वरीयता पदग्रहण की तिथि का विचार किये बिना चयन सूची के क्रम अनुसार अवधारित की जायेगी । यदि इनमें से दो व्यक्तियों की परिवीक्षा अवधि में वृद्धि की जाती है तो उन दोनों व्यक्तियों की वरिष्ठता चयन सूची के उन दोनों के अतिरिक्त शेष रहे दसवें व्यक्ति के नीचे संधारित की जायेगी। यदि उन दोनों में से ग्यारहवें स्थान का व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाता है एवं बारहवां व्यक्ति परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने वाले (नियम 8(6) के अंतर्गत स्थायीकरण की स्थिति में) व्यक्ति की वरिष्ठता उक्त चयन सूची के अंतिम व्यक्ति के नाम के ठीक नीचे (अर्थात बारहवें स्थान पर) निर्धारित की जायेगी।

(ख) पूर्ववर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होंगे:

परन्तु पूर्ववर्ती चयन की प्रतीक्षा सूची से नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता मूल चयन सूची से नियुक्त व्यक्तियों के नीचे किन्तु पश्चातवर्ती चयन के सीधी भरती से नियुक्त व्यक्तियों के ऊपर होगी।

उदाहरण: मान लीजिये कि वर्ष 2025 की प्रतीक्षा सूची में से किसी अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश जून 2026 में जारी किये जाते हैं। इसी मध्य, वर्ष 2026 की भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत नवीन अभ्यर्थी मार्च 2026 में पदग्रहण कर चुके हैं। ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती चयन (2025) की प्रतीक्षा सूची से नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता, वर्ष 2025 की चयन सूची के अंतिम अभ्यर्थी के नीचे होगी परन्तु पश्चात्वर्ती चयन वर्ष (2026) के सीधी भर्ती से नियुक्त व्यक्तियों के ऊपर होगी।

(2) पदोन्नत किये गये व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता:-

(क) पदोन्नति नियम के आधार पर पदोन्नत व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता उस क्रम में होगी, जिस क्रम में नियम द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो,

(ख) वरिष्ठता- सह-उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति के लिये उपयुक्त पाये गये व्यक्तियों की वरिष्ठता वही होगी, जैसी कि उस फीडर संवर्ग या संयुक्त वरिष्ठता सूची में सापेक्ष वरिष्ठता है, जिससे उनकी पदोन्नति की जाती है ।

(3) अन्य आधार पर नियुक्त व्यक्ति की वरिष्ठता:-

(क) अन्य आधार (जैसे संविलियन, अनुकम्पा नियुक्ति आदि) पर नियुक्त किसी व्यक्ति की वरिष्ठता उनकी संवर्ग में नियुक्ति की तिथि के अनुसार अवधारित की जाएगी,

(ख) संविलियन द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर वरिष्ठता ऐसे संविलियन के लिये उनके चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी,

स्पष्टीकरण: ऐसा व्यक्ति जो आरंभ में प्रतिनियुक्ति अथवा अन्य आधार पर रखा गया हो तथा बाद में संविलियन या नियमित किया गया हो, उसकी वरिष्ठता की गणना उसके संविलियन अथवा नियमित होने के आदेश के प्रभावशील होने की तिथि से की जाएगी।

(4) सीधी भरती, पदोन्नति तथा अन्य आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता:

(क) सीधे भरती किये गये, पदोन्नत किये गये एवं अन्य आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के बीच सापेक्ष वरिष्ठता नियम 10(1)(ख) के परंतुक के अध्याधीन संवर्ग में नियुक्ति/पदोन्नति हेतु जारी आदेश की प्रभावशीलता की तिथि के अनुसार अवधारित की जायेगी;

उदाहरण: यदि वर्ष 2026 में 11.08.2026 को 15 व्यक्तियों के सीधी भरती से नियुक्ति का आदेश प्रभावशील होता है, 05.10.2026 को एक व्यक्ति की अनुकम्पा नियुक्ति का आदेश प्रभावशील होता है एवं 01.12.2026 से दो व्यक्तियों की पदोन्नति का आदेश प्रभावशील होता है तो ऐसी स्थिति में 11.08.2026 को सीधी भरती से नियुक्त 15 व्यक्ति सबसे वरिष्ठ होंगे

उसके बाद 05.10.2026 को अनुकम्पा नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति वरिष्ठ होगा एवं उसके बाद 01.12.2026 को पदोन्नति से संवर्ग में नियुक्त दो व्यक्तियों को वरिष्ठता अवधारित की जायेगी।

(ख) यदि सीधी भरती, पदोन्नति एवं अन्य आधार पर नियुक्ति के आदेश एक ही तिथि से प्रभावशील होते हैं तो पदोन्नत व्यक्ति सामूहिक रूप से वरिष्ठतम होंगे तत्पश्चात सीधी भरती किए गए व्यक्ति वरिष्ठ होंगे एवं अन्य आधार पर नियुक्त व्यक्ति कनिष्ठतम होंगे।

(5). विशेष प्रकार के मामलों में वरिष्ठता:-

(क) जिन प्रकरणों में शासकीय सेवक पर निम्न पद या वेतनमान में पदावनत किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई हो तथा ऐसी पदावनति विनिर्दिष्ट अवधि के लिये है, तो पदावनति अवधि समाप्त होने की तिथि से उसकी वरिष्ठता शास्ति के पूर्व धारित पद में उसी प्रकार निर्धारित की जा सकेगी जैसे उसको पदावनत न किये जाने की स्थिति में की गई होती।

स्पष्टीकरण: निम्न पद या वेतनमान में की गयी सेवा को पदोन्नति के लिये उच्च पद की अर्हकारी सेवा नहीं माना जायेगा।

(ख) जिन प्रकरणों में शासकीय सेवक को निम्न पद या वेतनमान में पदावनत किये जाने की शास्ति अधिरोपित की गई एवं जिसमें अवधि का पृथक से उल्लेख नहीं हो तब ऐसे शासकीय सेवक की वरिष्ठता, निम्न पद पर पदभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी।

(ग) सेवाओं के विलय एवं एकीकरण की स्थिति में ऐसे विलय या एकीकरण की शर्तों के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

स्पष्टीकरण: नवीन कार्यालय में अतिशेष शासकीय सेवक उनकी वरिष्ठता के प्रयोजन के लिये पूर्व कार्यालय में की गई पिछली सेवा के लाभ के हकदार नहीं होंगे तथा ऐसे शासकीय सेवक, उनकी वरिष्ठता के मामले में नये प्रवेशार्थी के रूप में माने जायेंगे।

11. प्रत्यावर्तन तथा पुनर्नियुक्ति :- उच्चतर पद या संवर्ग में कार्यरत किसी शासकीय सेवक को, उस निम्नतर पद पर जिससे उसकी पदोन्नति की गई थी, उस स्थिति में प्रत्यावर्तित किया

जा सकेगा, जब उच्चतर पद पर कोई रिक्ति उपलब्ध न हो। ऐसा प्रत्यावर्तन, नियमों के अधीन पदावनति नहीं माना जायेगा।

परन्तु कोई स्थान रिक्त होने पर उच्चतर पद में पुनर्नियुक्ति सामान्यतः प्रत्यावर्तित शासकीय सेवकों की सापेक्ष वरिष्ठताक्रम के अनुसार की जायेगी।

12. शिथिलीकरण:- इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह राज्य के कार्यों से संबंधित सेवा में कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के मामले में मध्य प्रदेश राज्यपाल द्वारा ऐसी रीति से, जो उसे न्यायपूर्ण और सामयिक प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है।

13. नियमों का निर्वचन.- यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो वह शासन के, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. निरसन तथा व्यावृत्ति:- इन नियमों के तत्स्थानी सभी नियम, निर्देश जो इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पहले प्रवृत्त हो, एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

15. विभागीय भरती नियमों में संशोधनः- समस्त विभागों द्वारा राज्य लोक सेवाओं एवं पदों के लिये भरती को विनियमित करने वाले समस्त भरती नियम इन नियमों के उपबंधों के अनुसार संशोधित किए जायेंगे एवं ऐसा संशोधन होने तक समस्त विभागीय भरती नियम इन नियमों में यथा-उपबंधित सीमा तक संशोधित किये गये समझे जाएंगे।